प्रस्तावना

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क सहित राज्य की अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।